

मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान परिषद्

MADHYA PRADESH MEDICAL COUNCIL: BHOPAL

(Estb. on 1-4-1996 U/s 3 of the Madhya Pradesh Ayurvigyan Parishad Adhiniyam 1987)
(M. P. Act No. 11 of 1990)



Tele: (0755) 2767786

(0755) 2551568

Email: registrar.mpmc@mp.gov.in

F-7, Sanchi Complex,

Opp. Board Office,

Bhopal (MP) 462 016

Web: www.mpmcouncil.net

कमांक एमपीएमसी / शुद्धिकरण / 2021 / 4578

भोपाल, दिनांक 27/12/2021

मध्यप्रदेश स्टेट मेडिकल रजिस्टर के शुद्धिकरण की विज्ञप्ति

म0प्र0 आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत म0प्र0 में चिकित्सा व्यवसाय करने वाले चिकित्सकों का विवरण मध्यप्रदेश स्टेट मेडिकल रजिस्टर में दर्ज होता है।

उक्त चिकित्सक रजिस्टर के शुद्धिकरण की प्रक्रिया मध्यप्रदेश मेडिकल काँसिल, भोपाल द्वारा ऑनलाईन प्रारंभ की जा रही है। इस चिकित्सक रजिस्टर में वर्ष 1939 में एम0बी0बी0एस एवं अन्य पी0जी0 चिकित्सा डिग्री प्राप्त करने वाले चिकित्सकों के नाम दर्ज है। वर्तमान समय में संवाद के लिए ईमेल, मोबाईल नम्बर अति आवश्यक माध्यम है।

शुद्धिकरण की प्रक्रिया के तहत म0प्र0 चिकित्सक रजिस्टर में पंजीकृत चिकित्सकों को अपना डाटा अपग्रेड कराने के लिये निम्नानुसार आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं। जिसका विवरण परिषद् की वेबसाईट www.mpmcouncil.net पर उपलब्ध है।

- चरण 1— 70 वर्ष व उससे उपर की आयु (दिनांक 28.12.2021 से)
- चरण 2— 60 वर्ष व उससे उपर की आयु (दिनांक 05.01.2022 से)
- चरण 3— 50 वर्ष व उससे उपर की आयु (दिनांक 13.01.2022 से)
- चरण 4— 40 वर्ष व उससे उपर की आयु (दिनांक 21.01.2022 से)
- चरण 5— 30 वर्ष व उससे उपर की आयु (दिनांक 29.01.2022 से)
- चरण 6— 30 वर्ष के नीचे की आयु वाले (दिनांक 06.02.2022 से एक सप्ताह)

उक्त अपग्रेडेशन सुविधा प्रथम बार निःशुल्क है। केवल पोर्टल शुल्क रुपये 50.00 (पचास रुपये मात्र) निर्धारित है। दिनांक 14.02.2022 के पश्चात् आवेदन प्रस्तुत करने पर पृथक से जारी किये जाने वाले निर्देश लागू होंगे।

रजिस्ट्रार
म.प्र. मेडिकल काँसिल, भोपाल

27/12/2021